

ज्यायालय: उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ (जयपुर)

द्वारा संख्या - 34/2007

- च्याकीराम पुत्र अंक जाति नीणा निवासी सरलोली तहसील, जमवारामगढ (जयपुर)

... वादी

विनाम

- मूलचन्द पुत्र अंक
- रामजीलाल पुत्र अंक
- जाहियान नीणा निवासी - सरलोली तहसील जमवारामगढ (जयपुर)।
- राजस्थान सरकार जपे तहसीलदार जमवारामगढ (जयपुर)
- उपपंजीकृत महेडप, पीपलन कार्यलय जमवारामगढ (जयपुर)
- शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशानल बैंक शाखा स्वपराणीनी जमवारामगढ (जयपुर)

... परिवारीगण

द्वारा वादत विकासमा एवं र्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 03.05.2011

वारी ने एक वाद वादत विकासमा एवं र्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। जिसमें दिनांक 6/8/2009 को प्राथमिक डिप्टी के आदेश पारित कर तहसीलदार को निर्देश दिए जाये कि वे सरस नरस के आधार पर पूर्णतः निषेध प्रकृत करें। अन्त आदेश की पालना में तहसीलदार

P.T.O

49

उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ (जयपुर)

(2)

जगन्नाथराव ने अपने पत्र क्रमंक/क्र.श. 10/ 6819 दिनांक 19/11/2010 के द्वारा कृष्णात रिपोर्ट मित्राई आई। जिसे पत्रावली पर जमा करके डाक कृष्णात रिपोर्ट पर बहा भुनी गई।


जाल कृष्णात रिपोर्ट के आधार पर जाड में अन्विम डिडी निम्न प्रकार से जारी की जाती है:-

बाबूबाम पुत्र भैरव भाति बीणा साठेहरालि 2-N-13 शाखा शंवारानीजी भुलहीन को रकम - 10/2 रकम 21119, 10/2 रकम 21, 920/9 रकम 21112, 950/2 रकम 91113, रकम 962/2 रकम 1119, 222/2 रकम 213, 222/9 रकम 1113 लगान 33.42 रुपये कायम किया जाता है।

भुलवन्द पुत्र भैरव, राहिन सुंझाईं टीं केक डि गिन बकात जदपुर भुलहीन, रामजीलाल पुत्र भैरव राहिन ड. डि. डि. 5 शाखा जगन्नाथराव भुलहीन को रकम 98 रकम 61111, रकम 98/8 र, 22/9 रकम 21, 922/2 रकम 21 रकम 922/8 रकम 21, 920/9 रकम 91112, रकम 950/2 रकम 91113 लगान 69.28 रुपये कायम किया जाता है।

उपरोक्तानुसार अन्विम डिडी जारी की जाती है। मिणय व डिडी की प्रति तहसीलदार जगन्नाथराव को भेजा है। मित्राई जाके पत्रावली के माध्यम सुधार होकर नमक से काम हो। वाड प्रति 21 दिवस उपलब्ध है।

मिणय सुनाया गया।


उप-खण्ड अधिकारी
जगन्नाथराव (जयपुर)

(2)

① 3112, 920/2 रकवा 9113, रकवा 9145
रकवा 1119, 222 रकवा 113, 222/9 रकवा
8113 लगान 35.62 रुपये कायम बिकस म

② भूलाचन पुजा मेम रहिन भूलाचन टी वेक
जीन हाइल प्रपुल मुर्तहीन, रामजीलाल हु
मेम रहिन S.B.B.J वेक शाखा पाषारामाठ
मुर्तहीन साठेद के रकवा 9113 रकवा 6111
रकवा 9113/8 रकवा 58, 22/9 रकवा 11, 922
रकवा 11, रकवा 922/8 रकवा 11, 920
रकवा 9112, रकवा 9113/9 रकवा 9113 म,
69.28 रुपये कायम बिकस लाहा है।

की मती है निगीय व डिप्लीकी प्रति तः
पाषारामाठ (P.A.F.) के पालनार्थ है।



10

रघु खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)



<p>क्र. सं. / दिनांक</p> <p>विवरण</p>	<p>वृत्त या कार्यवाही मय इतिहासक वृत्त</p>
	<p>प्राप्त हुई। पञ्जाब राज्य के केन्द्रीय मोर्चा (एन सी) के कार्यालय में दिनांक 27/6/17 को प्रेषित</p>
<p><u>27/6/17</u></p> <p>पञ्जाब राज्य 27/6/17</p> <p>पञ्जाब राज्य 27/6/17</p> <p>पञ्जाब राज्य 27/6/17</p>	<p>पञ्जाब राज्य आज दिनांक को केन्द्रीय मोर्चा में प्रेषित हुई। राजगीर व (पञ्जाब) उपनिष्ठा राजगीर की केन्द्रीय निष्ठा दिनांक 3/5/17, के सम्बन्ध में आपत्ति प्रेषित की गई। अतः दिनांक 13/5/17 को प्रेषित किया गया।</p> <p>सुप. राज्य अधिकारी पञ्जाब राज्य</p>
<p><u>19/7/17</u></p>	<p>पञ्जाब राज्य अर्थात् सुगर्भ का प्राप्ति पर प्रेषित केन्द्रीय आपत्ति प्रेषित हुई। निष्ठा/आपत्ति के मोर्चा अर्थात् प्रेषित के पञ्जाब दिनांक 4/8/17 को प्रेषित</p> <p>सुप. राज्य अधिकारी पञ्जाब राज्य</p>
<p><u>4/8/17</u></p>	<p>पञ्जाब राज्य प्रेषित हुई। उभय पक्ष आपत्ति प्रेषित प्रेषित पर व निष्ठा की आपत्ति पर सहित सुगर्भ अर्थात् सुगर्भ व पञ्जाब</p>

फर्द अहकाम

दासीराम बनाम भूलचन्द 9 8.09

नाम न्यायालय

केस संख्या 132/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>का कवलेकन करने पर एवं फर्द में पारित निर्णय 3/5/11 का कवलेकन पर यह स्पष्ट होता है कि फर्द में पारित निर्णय में प्राप्त कुर्वेणत के आधार पर वाड को कृषि सिद्ध किया था जिसमें प्राप्त कुर्वेणत रिपोर्ट के किटुस 1 व 2 के प्रथम पृष्ठ में निर्णय में उल्लिखित कर दिया परन्तु अखण्ड के पृष्ठ 2 को उल्लिखित किटुस 2 के अन्तर्गत कवर प किटुस 3 निर्णय में लिखने से शेष रह गया। अगर फर्द में पारित निर्णय में प्राप्त कुर्वेणत रिपोर्ट का उल्लेख नहीं होता है तो निर्णय फर्द कावलेकन के अन्तर्गत प्राप्त है प्रस्तुत प्रमाण का उल्लेख धारा 152 CPC के अन्तर्गत किया जाता है तथा फर्द में पारित निर्णय दिनांक 3/5/2011 में पृष्ठस 2 के 20 वीं पंक्ति के आगे किण्व पंक्तियों को उल्लेख कर</p> <p>उपरोक्त 967/2 अका 111/9, 967/3 अका 111/9, 952/9 अका 921/2 222/2 अका 111/3 काण्ड किण्वपत्र</p> <p>3- दासीराम का गैर हि 9/3 रहिन 9x13 अका 2वाराजीजी गुर्दीन भूलचन्द का गैर हि 9/3 रहिन गुर्दीन अका 2वारा जीन हडस जाण्डर गुर्दीन रागाजीलाल का गैर हि 9/3 रहिन</p>	

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p> ड.बी.बी. शास्त्री जगन्नाथराव धुर्गाडीन जाति मीना साठ रेह को रकम १४/२ रकम १४११ , रकम ५२/२ रकम ५२ , रकम १२२/३ रकम ५३ लगान ०.०५ कायम किया जाता है। उपरोक्त निर्णय फर्द में पश्चिम निर्णय न हो सिद्ध दिनांक ३/११/२०११ में कोर फटा जाये। </p>



उप सहाय न्यायाधीश
जयपुर